न्यायालय–: न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, हिण्डौनसिटी, जिला करौली (राज0)।

पीठासीन अधिकारी : **पूजा मीना, आर0जे0एस0**

मुत. दांडिक प्रकरण संख्या : 753/2025

1. श्रीमती विनीता पत्नी कुलदीप पुत्री स्व0 श्री कप्तानसिंह, उम्र 22 साल, निवासी राजापुरा थाना सदर हिण्डौन जिला करौली

2. शिवानी पुत्री कुलदीप, उम्र करीब 3 साल, निवासी राजापुरा थाना सदर हिण्डौन जिला करौली।

––प्रार्थीगण

बनाम

कुलदीप पुत्र स्व0 कुंवरसिंह, उम्र 25 साल, निवासी धाउपासा, भरतपुर राज.।

––अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र बाबत् भरण–पोषण अन्तर्गत 144 भा0ना0सु0सं0</u>

उपस्थित :–

1. श्री संतोष मुदगल, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक : 13 जून, 2026

:: आदेश ::

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थीया श्रीमती विनीता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाबत प्रदान करने भरण पोषण का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया विनीता की शादी दिनांक 07.05.2021 को अप्रार्थी कुलदीप के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार बमुकाम राजापुरा, तहसील हिण्डौन में संपन्न हुई थी। वरवक्त विवाह प्रार्थीया के परिवारजन ने अपनी सामर्थ्य से अधिक बतौर स्त्रीधन समस्त घर गृहस्थी का सामान व जेवरात, कपड़े एवं पांच लाख रुपए नकद दिए थे। विवाह के बाद विदा होकर प्रार्थीया ससुराल पहुंची तो प्रार्थीया का पति अप्रार्थी व सास मीरा देवी, ननद राजकुमारी व ननदेउ राजू विवाह में दिए गए उक्त स्त्रीधन से संतुष्ट नहीं थे और कम दहेज लाने का ताना देने लगे। उक्त लोग दहेज में दो लाख रुपया नकद और मोटरसाईकिल की मांग कर प्रार्थीया को शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देने लगे व घ ोर अमानवीय व्यवहार करते। अप्रार्थी दहेज की खातिर प्रार्थीया के साथ आएदिन बुरी तरह मारपीट करता। प्रार्थीया ने अप्रार्थी को काफी समझाया किन्तु अप्रार्थी पर प्रार्थीया की बातों का कोई असर नहीं हुआ। प्रार्थीया की ननद व ननदेउ, प्रार्थीया के पति व सास को प्रार्थीया के प्रति उकसाते रहते थे एवं सास व ननद प्रार्थीया के साथ दहेज

की खातिर बुरी तरह मारपीट करती एवं अप्रार्थी को भी मारपीट के लिए उकसाती जिस पर अप्रार्थी भी आएदिन प्रार्थीया के साथ दहेज की खातिर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसी दरम्यिान प्रार्थीया गर्भवती हो गई एवं गर्भावस्था में भी प्रार्थीया का उक्त लोगों द्वारा कोई ख्याल नहीं रखा एवं दहेज की खातिर काफी मानसिक प्रताड़ना दी गई। दिनांक 07.06.2022 को प्रार्थीया ने अप्रार्थी के बिन्द से एक पुत्री शिवानी को जन्म दिया। पुत्री शिवानी के जन्म के बाद उक्त लोगों के अत्याचार और बढ़ गए। प्रार्थीया ने अपने घरवालों को इनके अत्याचारों के बारे में बताया तो प्रार्थीया के घरवाले प्रार्थीया को समझाते कि समय रहते सब ठीक हो जाएगा किन्तु इनका व्यवहार नहीं बदला। प्रार्थीया को उक्त लोगों द्वारा कई बार दहेज की खातिर घर से निकाल दिया गया। अंतिम बार दिनांक 03.11.2024 को इन लोगों ने प्रार्थीया को दहेज की खातिर मारपीट कर पहने हुए कपड़ों में भगा दिया और कहा कि यदि तेरे घरवाले हमारी मांग दो लाख रुपए नकद व मोटरसाईकिल की पूर्ति नहीं करते तो आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना, नहीं तो हम तुझे जान से खत्म कर देंगे जिस पर प्रार्थीया अपने पीहर राजापुरा आ गई। इसके बाद प्रार्थीया के परिजन एवं रिश्तेदार इन लोगों को समझाने प्रार्थीया के ससुराल ग्राम धाउपासा गए एवं कहा कि वह दहेज की अनुचित मांग को छोड़ दें और प्रार्थीया को प्रेमपूर्वक अपने साथ रखे किन्तु उक्त लोग अपनी दहेज की उक्त मांग पर ही अडिग रहे एवं प्रार्थीया को साथ रखने को तैयार नहीं हुए। प्रार्थीया का सम्पूर्ण स्त्रीधन भी हड़प लिया तभी से प्रार्थीया अपने पीहर राजापुरा में रह रही है। अप्रार्थी ने आज दिन तक प्रार्थीया की कोई सुध नहीं ली है, ना ही प्रार्थीगण के भरण पोषण का कोई इंतजाम किया है। प्रार्थीया ने दहेज की खातिर उक्त लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों व दहेज की अनुचित मांग के संबंध में पृथक से मुकदमा भी पेश कर दिया है। अप्रार्थी जयपुर में रहकर प्राइवेट कम्पनी में जॉब करता है जिससे 45,000/– रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है, इसके अलावा अप्रार्थी के पास काफी चल व अचल सम्पत्ति है, गांव धाउपासा में अप्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि है जिसमें पैदावार करके भी अप्रार्थी सालाना दो–तीन लाख रुपए आय अर्जित करता है जबकि प्रार्थीया के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, प्रार्थीया बेरोजगार है, कोई काम–धंधा भी नहीं जानती है। प्रार्थीगण के भूखो मरने की नौबत आ गई है, प्रार्थीया अपनी माता के यहां आश्रित रहकर बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत कर रही है। अप्रार्थी के पास प्रार्थीया व उनकी बच्ची के अलावा अन्य कोई जिम्मेदारी किसी प्रकार की नहीं है। प्रार्थीया को स्वयं के भरण पोषण हेतु 20,000/– रुपए प्रतिमाह व उसकी बच्ची के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 10,000/– रुपए, कुल 30,000/– रुपए की युक्तियुक्त आवश्यकता है जिसे अदा करते हेतु अप्रार्थी पूर्णतः सक्षम है। अप्रार्थी का यह दायित्व बनता है कि वह प्रार्थीया व उनकी बेटी को हर माह भरण पोषण राशि अदा करे। अतः प्रार्थीया संख्या 01 को अप्रार्थी से भरण–पोषण हेतु 20,000/– रूपये प्रतिमाह व प्रार्थीया

संख्या 02 को 10,000/– रूपये प्रतिमाह, कुल 30,000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाये जाने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को नोटिस प्राप्त होने के बावजूद बाद तामील दिनांक 16.10.2025 को अप्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर व ना ही उसकी ओर से किसी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रार्थीया द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील नं. 730/2020, रजनेश बनाम नेहा व अन्य में दिनांक 04.11.2020 को पारित आदेश एवं दिये गये निर्देशों के तहत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. साक्ष्य प्रार्थीया में ए0ड0 01 प्रार्थीया ने स्वयं को परीक्षित करवाया।

6. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थीया, अप्रार्थी की विवाहित पत्नी है। अप्रार्थी ने बिना किसी कारण के प्रार्थीया का अभित्याग कर रखा है। प्रार्थीया के पास आय का कोई जरिया नहीं है। अप्रार्थी व उसके परिजनों द्वारा दहेज में दो लाख रूपये नकद व एक मोटरसाईकिल की मांग कर प्रार्थीया को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देने लगे एवं अमानवीय व्यवहार कर प्रार्थीया के साथ बुरी तरह मारपीट करते एवं प्रार्थीया को जान से मारने की धमकी देते। प्रार्थीया के ननद व ननदेउ प्रार्थीया के पति व सास को प्रार्थीया के प्रति मारपीट के लिए उकसाते रहते थे। इसी दरम्यान प्रार्थीया गर्भवती हो गई एवं गर्भावस्था में भी प्रार्थीया का उक्त लोगों द्वारा कोई ख्याल नहीं रखकर उसे दहेज की खातिर काफी मानसिक प्रताडना दी गई तथा दिनांक 07.06.2022 को प्रार्थीया ने अप्रार्थी के बिन्द से एक पुत्री शिवानी को जन्म दिया जिसके जन्म के पश्चात से ही उक्त लोगों के अत्याचार और बढ़ गए। प्रार्थीया के काफी समझाने पर उक्त लोग नहीं माने एवं प्रार्थीया को कई बार घर से निकाल दिया। दिनांक 03.11.2024 को जब से उक्त लोगों ने प्रार्थीया को अंतिम बार घर से निकाला है तब से प्रार्थीया अपने पीहर राजापुरा ही रह रही है जिसके बाद प्रार्थीया के परिजन एवं रिश्तेदारों ने उक्त लोगों को ग्राम धाउपासा जाकर काफी समझाने की कोशिश की परन्तु उक्त लोग अपनी मांग पर अड़िग रहे एवं प्रार्थीया का संपूर्ण स्त्रीधन भी हड़प लिया। अप्रार्थी ने आज दिन तक प्रार्थीया की कोई सुध नहीं ली है। अप्रार्थी जयपुर में रहकर प्राइवेट कम्पनी में जॉब कर 45,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता है, इसके अलावा अप्रार्थी के पास काफी चल अचल सम्पत्ति है व गांव धाउपासा में अप्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि है जिस पर

पैदावार करके अप्रार्थी सालाना 2–3 लाख रूपये आय अर्जित करता है जबकि प्रार्थीया बेरोजगार है एवं कोई काम धंधा नहीं जानती है। अप्रार्थी के पास प्रार्थीया व उसकी बच्ची के अलावा अन्य कोई जिम्मेदारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया संख्या 01 को 20,000/– रूपये प्रतिमाह एवं प्रार्थीया संख्या 02 को 10,000/– रूपये प्रतिमाह, कुल 30,000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण दिलाया जावे।

7. पत्रावली तथा उसके समर्थन में प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये जाने पर इस न्यायालय के समक्ष इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विचारणीय हैः–

क. आया अप्रार्थी कुलदीप पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होते हुए भी अपनी पत्नी श्रीमती विनीता व पुत्री शिवानी, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, का भरण पोषण करने में उपेक्षा की है या भरण पोषण करने से इंकार किया है?

ख. यदि हां, तो प्रार्थीगण के भरण पोषण बाबत कितनी राशि अदा करने का अप्रार्थी को आदेश दिया जावे?

8. साक्ष्यों के मूल्यांकन करते समय साक्ष्यों के दोहराव से बचने के लिए उक्त दोनों अवधार्य बिंदुओं का विनिश्चय सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो यह प्रकट होता है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया का अप्रार्थी की पत्नी होने व शिवानी अप्रार्थी की पुत्री होने तथा प्रार्थीया का अपने पीहर में निवास करने, अप्रार्थी द्वारा पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति होते हुए प्रार्थीगण का भरण–पोषण करने में उपेक्षा व भरण पोषण करने से इंकार करने के तथ्य अंकित किए गए हैं। प्रार्थीया की ओर से साक्ष्य हेतु स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिसका अवलोकन करें तो प्रार्थीया ने अपने मुख्य परीक्षण में दिए गए शपथ पत्र में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए यह कथन किया है कि उसका विवाह अप्रार्थी कुलदीप के साथ दिनांक 07.05.2021 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार बमुकाम राजापुरा, तहसील हिण्डौन में संपन्न हुई थी। वरवक्त विवाह उसके परिवारजन ने अपनी सामर्थ्य से अधिक बतौर स्त्रीधन समस्त घर गृहस्थी का सामान व जेवरात, कपड़े एवं पांच लाख रुपए नगद दिए थे। विवाह के बाद विदा होकर वह ससुराल पहुंची तो उसका पति अप्रार्थी कुलदीप व सास मीरा देवी, ननद राजकुमारी व ननदेउ राजू विवाह में दिए गए उक्त स्त्रीधन से संतुष्ट नहीं थे और कम दहेज लाने का ताना देने लगे। उक्त लोग दहेज में दो लाख रुपया नकद और मोटरसाईकिल की मांग कर उसको शारीरिक एवं मानसिक यातनाएं देने लगे व घोर अमानवीय व्यवहार करते। अप्रार्थी दहेज की खातिर उसके साथ आएदिन बुरी तरह मारपीट करता। उसने अप्रार्थी को काफी समझाया किन्तु अप्रार्थी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसकी ननद व ननदेउ, उसके पति व सास को उसके प्रति उकसाते रहते थे एवं सास

व ननद उसके साथ दहेज की खातिर बुरी तरह मारपीट करती एवं अप्रार्थी को भी मारपीट के लिए उकसाती जिस पर अप्रार्थी भी आएदिन उसको दहेज की खातिर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसी दरम्यिान वह गर्भवती हो गई एवं गर्भावस्था में भी उसका उक्त लोगों द्वारा कोई ख्याल नहीं रखा एवं दहेज की खातिर काफी मानसिक प्रताड़ना दी गई। दिनांक 07.06.2022 को उसने अप्रार्थी के बिन्द से एक पुत्री शिवानी को जन्म दिया। पुत्री शिवानी के जन्म के बाद उक्त लोगों के अत्याचार और बढ़ गए। उसने अपने घरवालों को इनके अत्याचारों के बारे में बताया तो उसके घरवाले उसको समझाते कि समय रहते सब ठीक हो जाएगा किन्तु इनका व्यवहार नहीं बदला। उसको उक्त लोगों द्वारा कई बार दहेज की खातिर घर से निकाल दिया गया। अंतिम बार दिनांक 03.11.2024 को इन लोगों ने उसको दहेज की खातिर मारपीट कर पहने हुए कपड़ों में भगा दिया और कहा कि यदि तेरे घरवाले हमारी मांग दो लाख रुपए नकद व मोटरसाईकिल की पूर्ति नहीं करते तो आज के बाद इस घर में कदम भी मत रखना, नहीं तो हम तुझे जान से खत्म कर देंगे जिस पर वह अपने पीहर राजापुरा आ गई। इसके बाद उसके परिजन एवं रिश्तेदार इन लोगों को समझाने उसके ससुराल ग्राम धाउपासा गए एवं कहा कि वह दहेज की अनुचित मांग को छोड़ दें और प्रार्थीया को प्रेमपूर्वक अपने साथ रखे किन्तु उक्त लोग अपनी दहेज की उक्त मांग पर ही अडिग रहे एवं उसको साथ रखने को तैयार नहीं हुए। उसका सम्पूर्ण स्त्रीधन भी हड़प लिया तभी से वह अपने पीहर राजापुरा में रह रही है। अप्रार्थी ने आज दिन तक उसकी कोई सुध नहीं ली है, ना ही उसको व उसकी पुत्री शिवानी के भरण पोषण का कोई इंतजाम किया है। उसने दहेज की खातिर उक्त लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों व दहेज की अनुचित मांग के संबंध में पृथक से मुकदमा भी पेश कर दिया है। अप्रार्थी जयपुर में रहकर प्राइवेट कम्पनी में जॉब करता है जिससे 45,000/– रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है, इसके अलावा अप्रार्थी के पास काफी चल व अचल सम्पत्ति है, गांव धाउपासा में अप्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि है जिसमें पैदावार करके भी अप्रार्थी सालाना दो–तीन लाख रुपए आय अर्जित करता है जबकि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वह बेरोजगार है, कोई काम–धंधा भी नहीं जानती है। उसके व पुत्री शिवानी के भूखो मरने की नौबत आ गई है, वह अपनी माता के यहां आश्रित रहकर बहुत ही दयनीय जीवन व्यतीत कर रही है। अप्रार्थी के पास उसके व उसकी पुत्री शिवानी के अलावा अन्य कोई जिम्मेदारी किसी प्रकार की नहीं है। उसको स्वयं के भरण पोषण हेतु 20,000/– रुपए प्रतिमाह व शिवानी के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 10,000/– रुपए, कुल 30,000/– रुपए की युक्तियुक्त आवश्यकता है जिसे अदा करते हेतु अप्रार्थी पूर्णतः सक्षम है। अप्रार्थी का यह दायित्व बनता है कि वह उसको व पुत्री शिवानी को हर माह भरण पोषण राशि अदा करे। अप्रार्थी जानबूझकर भरण पोषण राशि अदा नहीं कर रहा है।

9. सर्वप्रथम अगर हम प्रार्थीया के अप्रार्थी से विवाह होने के प्रश्न पर गौर करें तो प्रार्थीया ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रार्थीया विनीता का विवाह अप्रार्थी कुलदीप पुत्र स्व. कुंवरसिंह के साथ दिनांक 07.05.2021 में राजापुरा तहसील हिण्डौन में पूर्ण हिन्दू रीति रिवाज से होने बाबत कथन किये हैं। प्रार्थीया ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 03.11.2024 को अप्रार्थी द्वारा उससे एक मोटरसाईकिल व दो लाख रूपये की मांग कर उसके साथ मारपीट कर उसे मात्र पहने हुए कपड़ों में घर से निकाल दिये जाने तथा तभी से अपने पीहर में रहने का कथन किया है। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से प्रार्थीया के उक्त कथनों का किसी प्रकार का कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं हैं, ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थीया विनीता अप्रार्थी कुलदीप पुत्र स्व. कुंवरसिंह की वैध विवाहित पत्नी न हो व शिवानी प्रार्थीया विनीता व अप्रार्थी कुलदीप की पुत्री न हो। इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा जाहिर किया गया है कि उसके द्वारा अप्रार्थी कुलदीप के विरुद्ध दहेज का मुकदमा न्यायालय में कर रखा है। प्रार्थीया वर्तमान में अपनी मां के घर राजापुरा में निवास कर रही है तथा प्रार्थीया के पास अपने भरण–पोषण करने का कोई जरिया नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी कुलदीप द्वारा अपनी पत्नी विनीता व पुत्री शिवानी का बिना किसी कारण से परित्याग कर रखा है तथा उन्हें कोई भरण–पोषण अदा नहीं किया गया है, जबकि प्रार्थीगण अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। न्यायालय का यह भी मानना है कि एक पति का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी व पुत्री का भरण पोषण करे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के उपबंध सामाजिक न्याय के लिए उपाय है जो महिलाओं व बच्चो के संरक्षण विस्तृत है एवं परित्यक्त महिलाओं को उपचार करते हैं। इन मामलों में प्रार्थीया को अपना मामला अधिसंभावना की प्रबलता के स्तर तक प्रमाणित करना होता है, युक्तियुक्त संदेह से परे तथ्यों को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होता है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं के भरण–पोषण के लिए 20,000/–रूपये प्रतिमाह व पुत्री शिवानी के भरण पोषण के लिए 10,000/– रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता होना जाहिर कर स्वयं द्वारा कोई काम करना नहीं बताया है। ऐसे में अप्रार्थी का अपनी पत्नी व पुत्री की तरफ भरण पोषण का नैतिक व विधिक दायित्व है। विधि की मंशा को देखते हुए तथा धारा 144 भा.ना.सु.सं. के सामाजिक कल्याण के तथ्यों को देखते हुए तथा प्रार्थीया के अप्रार्थी की विधिक पत्नी होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीया को अप्रार्थी से भरण पोषण दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थीया ने अपनी साक्ष्य में अप्रार्थी द्वारा जयपुर में रहकर प्राइवेट कम्पनी में जॉब कर 45,000/– रूपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने तथा गांव धाउपासा में अप्रार्थी के हिस्से की कृषि भूमि से सालाना दो–तीन लाख रूपये अर्जित करना बताया है, परन्तु प्रार्थीया ने इस संबंध में किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीया श्रीमती विनीता अप्रार्थी कुलदीप की वैध विवाहित पत्नी है तथा शिवानी प्रार्थीया विनीता व अप्रार्थी कुलदीप की

पुत्री है एवं अप्रार्थी का विधिक दायित्व है कि वह अपनी विवाहिता पत्नी व वैध पुत्री का भरण–पोषण करे। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत भरण पोषण दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

10. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाबत भरण पोषण विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी कुलदीप को आदेश दिया जाता है कि वह अपनी पत्नी प्रार्थीया श्रीमती विनीता को 5,000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) व पुत्री शिवानी को वयस्क होने की दिनांक तक 3,000/– रूपये (अक्षरे तीन हजार रूपये) माासिक बतौर भरण पोषण प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से अदा करेगा। उक्त राशि प्रत्येक माह की 01 तारीख को देय होगी। यदि किसी भी विधिक प्रावधान के अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा भरण पोषण के पेटे कोई राशि अप्रार्थी से प्राप्त की जाती है तो उक्त राशि इस राशि में समायोजन के योग्य होगी और अप्रार्थी का दायित्व सभी आदेशों में से अधिकतम राशि के आदेश के अनुसार अदायगी का रहेगा।

(पूजा मीना)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, हिण्डौनसिटी
जिला करौली।

11. निर्णय आज दिनांक 13 जून, 2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया, जिसे आज मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(पूजा मीना)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, हिण्डौनसिटी
जिला करौली।